PBC No. 100 / 2026
RBE No. 56 / 2026

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

No: P(R) 500 / P / Vol.X   दिनांक/Date: as signed

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM,
Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS,
Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD,
DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub:Amendment in the provisions of Voluntary retirement under Rules 1802 (b)(1), 1803 (b)(1) & 1804(b).

***

A copy of the Railway Board's letter No. E(P&A)I-2020/RT-5 dated 10.07.2026 alongwith a copy of Advance Correction Slip No. 65 to The Indian Railway Establishment Code, Vol.II, 1987 Edition – (Reprint Edition – 2005) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

संलग्नक/Encl. 05 pages.

Digitally signed by
CHILAKALAPUDI ANJANI KUMAR
'Date: 2026.07.13 14:12:54 +05'30

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / IR & Trg.
कृते प्रमुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary / DREU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD / रेलवे बोर्ड)

No. E(P&A)I-2020/RT-5

RBE No. 56 /2026
New Delhi, dated: 10.07.2026

The General Managers/PFAs,
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Amendment in the provisions of Voluntary retirement under Rules 1802 (b)(1), 1803(b)(1) & 1804(b).

DoP&T has revisited the provisions of Fundamental Rule 56(k), 56(m) and Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 relating to acceptance of request of voluntary retirement as per the Central Administrative Tribunal, Principal Bench's judgment dated 04th August, 2010 in O.A. No. 1600/2009 filed by Shri Gopal Singh Purohit Vs UOI & Others to bring them at par with each other. In this context, DOP&T in consultation with DOP&PW and M/o Law have amended the Fundamental Rules 56(k) and 56(m) vide Extraordinary Gazette Notification No. GSR. 27(E) dated 17.01.2014.

2. The matter has been examined in Board's Office and it has been decided that it shall be open to the Appropriate Authority to withhold permission to a railway servant, who seeks to retire under Rules 1802(b)(1), 1803(b)(1) & 1804(b) in the following circumstances:

(i) If the railway servant is under suspension; or
(ii) If a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or
(iii) If judicial proceedings on charges which may amount to grave misconduct, are pending.

Explanation:- For the purpose of this clause, judicial proceedings shall be deemed to be pending, if a complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, has been made or filed in a criminal proceeding.

3. This order shall take effect from 17.01.2014. The past cases decided in terms of existing provisions need not be reopened.

4. The provisions in respect of Retirement Rules are contained in Chapter-18 of Indian Railway Establishment Code (IREC), Volume-II, 1987 Edition (Reprint Edition-2005). In view of this, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Retirement Rules may be amended as per enclosed Advance Correction Slip No. 65.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Please acknowledge receipt.

DA:- Correction Slip.

(Gaurav Puri)
Joint Director/ Estt.(P&A),
Railway Board
Tele No. 47845119
Email Id: gaurav.rb1@gov.in

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-II, 1987 Edition- (REPRINT EDITION – 2005)

Advance Correction Slip No. 65

The following amendments may be made to Retirement Rules contained in Chapter-18 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-II, 1987 Edition (Reprint Edition – 2005):-

Rule 1802

The proviso to the clause (b) (1), shall be substituted as under:-

"Provided that it shall be open to the Appropriate Authority to withhold permission to a railway servant, who seeks to retire under this clause, if, -

i. the railway servant is under suspension; or
ii. a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or
iii. if judicial proceedings on charges which may amount to grave misconduct, are pending.

Explanation:- For the purpose of this clause, judicial proceedings shall be deemed to be pending, if a complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, has been made or filed in a criminal proceeding."

Rule 1803

The proviso to the clause (b) (1), shall be substituted as under:-

"Provided that it shall be open to the Appropriate Authority to withhold permission to a railway servant, who seeks to retire under this clause, if, -

i. the railway servant is under suspension; or
ii. a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or
iii. if judicial proceedings on charges which may amount to grave misconduct, are pending.

Explanation:- For the purpose of this clause, judicial proceedings shall be deemed to be pending, if a complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, has been made or filed in a criminal proceeding."

Rule 1804

The clause (b), shall be substituted as under:-

"(b) A railway servant in Group 'C' post who is not governed by any pension rules, may, by giving notice of not less than three months in writing to the Appropriate Authority, retire from service after he has completed thirty years service.

Provided that it shall be open to the Appropriate Authority to withhold permission to a Government servant, who seeks to retire under this clause, if, -

i. the railway servant is under suspension; or

ii. a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or
iii. if judicial proceedings on charges which may amount to grave misconduct, are pending.

Explanation:- For the purpose of this clause, judicial proceedings shall be deemed to be pending, if a complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, has been made or filed in a criminal proceeding."

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2020/RT-5 dated 10 .07.2026)

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 56/2026
नई दिल्ली, दिनांक:10.07.2026

सं. ई(पी एंड ए)I-2020/आरटी-5

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाईयां

विषय: नियम 1802 (ख) (1), 1803 (ख) (1) और 1804 (ख) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधानों में संशोधन।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 04 अगस्त, 2010 के श्री गोपाल सिंह पुरोहित बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. संख्या 1600/2009 पर दिए गए निर्णय के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करने से संबंधित मूल नियम 56(के), 56(एम) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों की समीक्षा की है, ताकि उन्हें एक दूसरे के बराबर लाया जा सके। इस संदर्भ में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा कानून मंत्रालय के परामर्श से दिनांक 17.01.2014 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 27(अ) के तहत मूल नियम 56(के) और 56(एम) में संशोधन किया गया है।

2. इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई और यह विनिश्चय किया गया कि समुचित प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह उस रेलसेवक को, जो नियम 1802(ख)(1), 1803 (ख)(1) और 1804(ख) के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है, उसकी अनुज्ञा को निम्नलिखित परिस्थितियों में रोक सकता है:

(i) यदि रेलसेवक निलंबनाधीन है; अथवा
(ii) यदि आरोप पत्र जारी हो चुका है और अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; अथवा
(iii) यदि ऐसे आरोपों पर न्यायिक कार्यवाही लंबित हैं जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, आपराधिक कार्यवाही में की गई है अथवा दायर की गई है।

3. यह आदेश दिनांक 17.01.2014 से प्रभावी होगा। मौजूदा प्रावधानों के तहत निपटाए गए पुराने मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

4. सेवानिवृत्ति नियमों के संबंध में प्रावधान भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, 1987 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण – 2005) के अध्याय-18 में अंतर्विष्ट हैं। इसे देखते हुए, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष यह निर्देश देते हैं कि सेवानिवृत्ति नियमों को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 65 के अनुसार संशोधित किया जाए।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

6. कृपया पावती दें।

गौरव पुरी

संलग्नक :- शुद्धि पर्ची

(गौरव पुरी)
संयुक्त निदेशक/स्थापना (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 47845119
ईमेल : gaurav.rb1@gov.in

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II,1987 संस्करण(पुनर्मुद्रण संस्करण–2005) की अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 65

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, 1987 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण – 2005) के अध्याय-18 में अंतर्विष्ट सेवानिवृत्ति नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

नियम 1802

खंड (ख) (1) के परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"बशर्ते कि, समुचित प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह उस रेलसेवक को, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है, उसकी अनुज्ञा को रोक सकता है; यदि -

(i) रेलसेवक निलंबनाधीन है; अथवा
(ii) आरोप पत्र जारी हो चुका है और अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; अथवा
(iii) ऐसे आरोपों पर न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, आपराधिक कार्यवाही में की गई है अथवा दायर की गई है।"

नियम 1803

खंड (ख) (1) के परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"बशर्ते कि, समुचित प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह उस रेलसेवक को, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है, उसकी अनुज्ञा को रोक सकता है; यदि -

(i) रेलसेवक निलंबनाधीन है; अथवा
(ii) आरोप पत्र जारी हो चुका है और अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; अथवा
(iii) ऐसे आरोपों पर न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, आपराधिक कार्यवाही में की गई है अथवा दायर की गई है।"

नियम 1804

खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(ख) समूह "ग" पद का रेल सेवक, जो किसी भी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं हैं, तीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् समुचित प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।

बशर्ते कि, समुचित प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह उस रेलसेवक को, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है, उसकी अनुज्ञा को रोक सकता है; यदि –

(i) रेलसेवक निलंबनाधीन है; अथवा
(ii) आरोप पत्र जारी हो चुका है और अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; अथवा
(iii) ऐसे आरोपों पर न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, आपराधिक कार्यवाही में की गई है अथवा दायर की गई है।"

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.07.2026 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) I-2020/आरटी-5)

*****